

सं० सं० 14/एम 11-2/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
एशियन इंस्टीच्युट आफ मेडिकल साइंस
एम०आई०डी०सी० डोम्बीवली,
मुम्बई। 421203

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.5.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	निशा सिन्हा पति-नवीन कुमार ग्राम-बसेरा कालोनी, कालीधाम पोस्ट-लहेरिया सराय थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा	कैंसर रोग	₹ 80,000 /- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 80,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000 /- (अस्सी हजार) रुपये का क्रास चेक सं० 836648 मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 830 (14)

पटना, दिनांक - 29-5-17

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/17
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-2/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक
सर सुन्दर लाल हौस्पीटल
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.5.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	लाखपती देवी पति- धेनुख प्रसाद ग्राम+पोस्ट-सिरसा थाना-मुफसिल जिला-पूर्वी चम्पारण एमआरडीनं०-895128	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,00,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 /-(एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं०द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

29/11/17

विश्वासभाजन

ह०/

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....~~83683~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 829 (14)

पटना दिनांक - 29-5-17

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री प्रमोद कुमार मा0 स0वि0स0 मोतिहारी / संबंधित मरीज / आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हौस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.5.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	भुपेन्द्र मालाकार पिता-स्व. शिव मालाकार ग्राम-विशुनपुर बेलदरिया थान-हरगावा जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	कौशल कुमार दास पिता-राम प्यारे लाल दास ग्राम-पो०-पाण्डेय पट्टी थाना-मुफसिल जिला-बक्सर	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	शिव शंकर दास पिता-स्व. रामाशंकर दास ग्राम-रौजा पो०-आरा, थाना-टाउन जिला-भोजपुर	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,40,000 /-(एक लाख चालीस हजार) स्वीकृत।
4	विकास कुमार गुप्ता पिता-मोहन दास गुप्ता ग्राम-मखदुमपुर बाजार पो०+थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
5	दिलिप कुमार पिता-स्व. संदीप राम ग्राम-बेलछी पो०-बाली बेलछी थाना-चंडी जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।

31/11/17
9/11/17

6	मो० इझार आलम पिता-बादशाह आलम ग्राम-केनडीह पोस्ट+थाना-खैरा जिला-जमुई	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,40,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,40,000/- (सात लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836632 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुपयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 836632 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 826 (14)

पटना, दिनांक - 29-5-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
लोहिया नगर पटना 800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.5.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	जहाँगीर खान पिता-स्व. जहीर उद्दीन खान ग्राम-सलीमाबाद फुलहारा पोस्ट-इजरा थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	स्पाइनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	संजय कुमार पिता-स्व. चन्द्रदीप सिंह ग्राम-अयोध्या बीगहा पो०-सिहारी थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद	स्पाइनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	रेणु देवी पति-विरेन्द्र प्रसाद ग्राम-लोहन्डा पो०-भोभी, थाना-हिलसा जिला-नालंदा	स्पाइनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 836631 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

29/5/17

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...826631.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 825 (14)

पटना, दिनांक - 29-5-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री M/R
29/5/17
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं०- 14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.5.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अरविन्द सिंह पिता-वशिष्ठ सिंह ग्राम-पो०-किशनपुर बैकुंठपुर थाना-वारिस नगर जिला-समस्तीपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	बिनय कुमार पिता- रामखेलावन राम ग्राम-कल्याणपुर पो०+थाना+जिला-जमुई	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	सुरेश शर्मा पिता-स्व. रामचन्द्र शर्मा ग्राम-पो०+थाना-नगर नौसा जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
4	अब्दुल हक पिता-स्व. अबु बाकर ग्राम-कुरसेल पो०-थाना-मनसाही जिला-कटिहार	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	बृज मोहन चौधरी पिता-राम ईश्वर चौधरी ग्राम-मुबारकपुर पो०-गुरुकुल मेहिया थाना-गरखा जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

21/5/17
24/5/17

6	पारस सहनी पिता-स्व. महेन्द्र सहनी ग्राम-कटेया खास पो0-टेकनवास थाना-महम्मदपुर जिला-गोपालगज	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
7	अनिल सहनी पिता-लाल बाबु सहनी ग्राम-पट्टी बंधुराय पो0-हांसीकेवल थाना-भगवानपुर जिला- वैशाली	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,30,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,30,000/- (चार लाख तीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 836630 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 836630 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 824 (14)

पटना, दिनांक - 29-5-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

4

सं० सं० 14/एम 11-2/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.05.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नुसरत परवीन पति-मो० मुस्लिम ग्राम-पारु मठिया पो०+थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन०-2017145963	पेट रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	उर्मिला देवी पति-रघुनाथ प्रसाद ग्राम-दिन दयाल नगर थाना-नगर पो०+जिला-सीवान सीआरन०-2012701930	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
3	निशा कुमारी पिता-राम गणेश ठाकुर ग्राम-तलखापुर डुमरा पो०-थाना-डुमरा जिला-सीतामढ़ी सीआरन०-2017277668	पेट रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 2,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836629 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी० आई० डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

29/5/17

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

5 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 836629 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 823 (14)

पटना, दिनांक - 29-5-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

6

सं० सं० 14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पिटल, एडं रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.5.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० शमशाद खां पिता-स्व० अब्दुल रजाक खां ग्राम-केरूआ पोस्ट-तेतरावा थाना-गिरियक जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	राजेश कुमार पिता-तनिक नन्दन पंडित ग्राम-नकटपुरा पो०-मुरौरा थाना-बिहारशरीफ जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	मदन राय पिता-महेश्वर राय ग्राम-हरिहरपुर पो०-कुम्हरा विष्णुपुर थाना-डुमरा जिला-सीतामढ़ी	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	सन्नी कुमार पिता-शिव शंकर सिंह ग्राम+पो०-कोलावा थाना-हरनौत जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	शांति कुमारी पति-सुरेश प्रसाद ग्राम-लोहानी बीगहा पो०-गोनावा थाना+जिला-नवादा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

29/5/17

6	दिनेश पासवान पिता-स्व. बैजु पासवान ग्राम-तुर्कबन पो0+थाना-धमौल जिला-नवादा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /--(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	अरविन्द राम पिता-स्व. लखन राम ग्राम-ईस्माईलपुर पो0-मालदह थाना-बरबीघा जिला-शेखपुरा	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /--(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	लालमुनी देवी पति-दक्षिणेश्वर सिंह ग्राम-राष्ट्रीयगंज पोस्ट+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /--(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
9	मनोहर कुमार पिता-स्व0 मोगल प्रसाद यादव ग्राम+पो0-खपड़ा थाना-संग्रामपुर जिला-मुंगेर	प्लास्टिक सर्जरी	₹ 1,50,000 /--(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	जितेन्द्र कुमार वर्मा पिता-बैजनाथ प्रसाद ग्राम-नैली पोस्ट-चांद चौरा थाना-मगध मेडिकल जिला-गया	हृदय रोग	₹ 85,000 /--(पचासी हजार) स्वीकृत।
11	मीना देवी पति-रामचन्द्र साह ग्राम-पो0-बलभद्रपुर थाना-विरपुर जिला-सुपौल	हृदय रोग	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत।
12	प्यारी देवी पति-रघुनाथ महतो ग्राम+पो0-घुसकुरी थाना-अरियरि जिला-शेखपुरा	हृदय रोग	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत।
13	अनिकेत कुमार पिता-चन्द्रदेव महतो ग्राम-एकारा पोस्ट-थाथन बुजुर्ग थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	प्लास्टिक सर्जरी	₹ 1,00,000 /--(एक लाख) स्वीकृत।
14	राबड़ी देवी पति-बेदान्ती राम ग्राम-पो0-दुधीअवा थाना-नवलपुर जिला-पो चम्पारण	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /--(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

श्री ४४/३
२०/१०/१७

15	खुशबु देवी पति-नरेश पंडित ग्राम-बियाबानी पोस्ट-मघड़ा थाना-दीप नगर जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
16	मोनु कुमार पिता-राहुल कुमार ग्राम-दाउदपुर पोस्ट-मैजरा मधार थाना-वेन जिला-नालंदा	पेट रोग (सर्जरी)	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
17	रविन्द्र चौधरी पिता-शंकर चौधरी ग्राम+पो0-ईस्माईलपुर थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
18	मनीष कुमार पिता-मिथलेश पंडित ग्राम-सोहगी पोस्ट-सोना गोपालपुर थाना-गौरीचक जिला-पटना	प्लास्टिक सर्जरी	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
19	मीना देवी पति-आनन्द किशोर ग्राम+पो0-छाता थाना-मसौड़ी जिला-पटना	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
20	लगनदेव प्रसाद सिंह पिता-स्व. लालु सिंह ग्राम-कासीपुर पो0-विदुपुर थाना-राजापाकर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
21	उमेश गोप पिता-स्व0 ईश्वर गोप ग्राम-शेरपुर पो0-ईतासंग थाना-रहुई, जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 24,10,000 /--

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 24,10,000 /-(चौबीस लाख दस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 826628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...836628...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 819 (14)

पटना, दिनांक - 29-5-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
6

सं० सं० 14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.5.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रिमी देवी पति-राजेश महलदार ग्राम-गढ़िया बलुआ/03 पो०-गढ़िया बलुआ थाना-के० नगर जिला-पूर्णिया सीआरन०-043571/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	राधा देवी पति-राम विलास चौधरी ग्राम-इंग्लीश पोस्ट+थाना+जिला-लखीसराय सीआरन०-069512/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	एस० के० जाहिर पिता-ए० के० फकीर ग्राम-मायामारी पोस्ट-पानी कमला थाना-अमदाबाद जिला-कटिहार सीआरन०-074941/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	राज कुमारी देवी पति-राजेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम+पो०-मणीकपुर थाना-घटहो ओ०पी० जिला-समस्तीपुर सीआरन०-076512/17 29/5/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

5	मुन्नी खातुन पति-मो० इसुफ ग्राम-नबाबगंज पोस्ट+थाना+जिला-किशनगंज सीआरनं०-025511 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
6	सुशीला देवी पति-लक्ष्मण पासवान ग्राम-अजय गैस के निकट, नया टोला, पो०-रमना थाना-काजी मोहम्मदपुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं०-043989 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 / - (अस्सी हजार) स्वीकृत।
7	ज्ञानशीला देवी पति-उमेश सिंह ग्राम-जैतीपुर पो०-नेउरा, थाना-बिहटा जिला-पटना पंजी/ओ०पी०डी/008201 / 13	कैंसर रोग	₹ 50,000 / - (पचास हजार) स्वीकृत।
8	राम ईश्वर शर्मा पिता-स्व. जगेश्वर सिंह ग्राम-लडउआ पो०+थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद सीआरनं०-078533 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
9	संहिता देवी पति-अरुण कुमार ग्राम-साहुगढ़ सिंहपुर-2 पो०-साहुगढ़-1 थाना-जिला-मधेपुरा सीआरनं०-071529 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
10	मो० खुशीद आलम पिता-मो० कौसर ग्राम-पो०+थाना-अमडंडा जिला-भागलपुर सीआरनं०-055250 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
11	मुकेश कुमार पिता-डांगर महतो ग्राम-दिवान मोहल्ला पातो की बाग, पो०-झाउगंज थाना-खाजेकला जिला-पटना सीआरनं०-059528 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
12	राम प्यारी पति-रामवतार साह ग्राम-पो०-हिसार थाना-खीरहर जिला-मधुबनी सीआरनं०-061673 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।

31/11/17
29/11/17

13	अर्जुन प्रसाद वर्णवाल पिता-जगेसर लाल ग्राम-नागवंशी सहायलेन पो0-आर0एस0 गया थाना-कोतवाली जिला-गया सीआरनं0-161767 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
14	महेश यादव पिता-स्व. विद्यानन्द यादव ग्राम-खाब्दाह पो0-कन्हैली थाना-नरपतगंज जिला-अररिया सीआरनं0-079347 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
15	हरेन्द्र प्रसाद यादव पिता-भागीरथ राय ग्राम-परसा पो0+थाना-महुआवा जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-058406 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
16	पुनम कुमारी पति-अशोक कुमार साह ग्राम-उच्चैठ पो0-लोरिका थाना-बेनीपट्टी जिला-मधुबनी सीआरनं0-067486 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
17	प्रदीप कुमार राम पिता-स्व. रामदयाल राम ग्राम-पीपरा पो0-खेढाय थाना-आन्दर जिला-सीवान सीआरनं0-040031 / 17	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
18	पविता कुमारी पति-रामाकान्त यादव ग्राम-बन्दीहुली पो0-अरगा थाना-बहेड़ी जिला-दरभंगा सीआरनं0-050407 / 17	हृदय रोग	₹ 65,000 /-(पैंसठ हजार) स्वीकृत।
19	फुलमनी देवी पति-लाल बाबु ग्राम-फुलौरी गली पो0-पटना सिटी थाना-चौक जिला-पटना सीआरनं0-032880 / 15	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।

29/11/17

20	कांति देवी पति-शिवनाथ राम ग्राम-फतहपुर पकड़ी पो0-पीरोई थाना-महुआ जिला-वैशाली सीआरनं0-018242 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत।
21	बिपिन कुमार पिता-राजेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम-दुधैला, पो0-मोहनपुर थाना-सोनवर्षा कचहरी जिला-सहरसा पंजी/ओ0पी0डी / 176556 / 16	कैंसर रोग	₹ 40,000 /--(चालीस हजार) स्वीकृत।
22	गौरी देवी पति-राजेश्वर चौहान ग्राम-इटवा टोला ददती पो0-गाजनपुर थाना-परैया, जिला-पटना पंजी/ओ0पी0डी / 065088 / 16	कैंसर रोग	₹ 40,000 /--(चालीस हजार) स्वीकृत।
23	विश्वम्भर नाथ सिन्हा पिता-स्व. एन0एन0 सिन्हा ग्राम-क्वार्टर नं0-267, पाटलीपुत्रा कालोनी, पो0+थाना-पाटलीपुत्रा जिला-पटना सीआरनं0-066233 / 17	कैंसर रोग	₹ 1,10,000 /--(एक लाख दस हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
24	कारी देवी पति-कृष्णा चौधरी ग्राम+पो0-डिहुरी थाना-अतरी जिला-गया सीआरनं0-131178 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 15,70,000 /--

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,70,000 /--(पन्द्रह लाख सतर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 836628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

30/11/17
29/11/17

5. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद),
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 836628 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 820 (14)

पटना, दिनांक - 29-5-17

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

+